

आदेश

13/12

पञ्जावली तहसीलदार नवलपराधी के पासना विधि  
 प्राप्त होने के पश्चात् पर तलब की गई। नवलपराधी  
 नवलपराधी के पत्रांक 1 नू. नं. 12000/151 दिनांक 12/12/20  
 के द्वारा निर्णय की पासना मामलत उठाने  
 श्रेण्या 1918 दिनांक अ.नं. 20 के द्वारा राजस्व  
 रिपोर्ट में तलब दरासद हो चुका है। उक्त  
 में तलब मान्य हुई कारनाही आपडिगनी  
 है। अतः पुकरण इसी स्तर पर हो पा रहा  
 जाता है। पञ्जावली के पासना मुमात होकर  
 दर्जा नम्बर ले कम हो गया बाद तहसील  
 जाफा दाखिल दफ्तर है।

मुख्य अधिकारी  
 नवलपराधी

